न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/223RTA/2017/064

अनोपदास पुत्र चुतरदास साद
निवासी चण्डालिया, तहसील तिंवरी
जिला जोधपुर (राज.)

----- अपीलार्थी

ब

ना

म

राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार, तिंवरी
जिला जोधपुर

-----प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 12 जुलाई 2016 राजस्व वाद संख्या 15/2015 अनोपदास बनाम सरकार

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल
प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 03/10/2019

अपीलार्थी ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2015 अनोपदास बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 12 जुलाई 2016 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 2[illegible] जुलाई 2017 को पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.27 17:32:32 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्याः Jodhpur/223RTA/2017/064

अनोपदास बनाम सरकार

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम चण्डालिया तहसील तिंवरी की सीमा में स्थित आराजी खसरा संख्या 172 रकबा 106 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 290 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 291 रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 292 रकबा 7 बीघा, खसरा संख्या 293 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 294 रकबा 3 बिस्वा एवं खसरा संख्या 295 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 10 अप्रेल 2015 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी-प्रत्यर्थी को तलब किया। आगामी पेशीयों पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भ्रमण/अवकाश पर होने की खर-मुहर से पेशी-तब्दील होती रही और इसी क्रम में 13 अप्रेल 2016 की पेशी से आगे पेशी 13 जुलाई 2016 निर्धारित की गयी, किन्तु दिनांक 12 जुलाई 2016 की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र पांचला खुर्द में पेश होना, भूमिधारी व प्रतिवादी तहसीलदार तिंवरी (पेरोकार सरकार) का जवाब प्राप्त होना तथा रिपोर्ट के अनुसार डोली बनाम मन्दिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार किसी को भी देय नहीं है, वर्णित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के जवाब से पूर्णतया सहमति व्यक्त करते हुए वादी-अपीलार्थी का दावा खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है। अपील के लंबन काल में अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.27 17:32:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्याः Jodhpur/223RTA/2017/064
अनोपदास बनाम सरकार

डिक्री-पर्चा जारी नहीं किया गया, अतः अपील के साथ डिक्री-पर्चा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान की जावे।

एक अन्य प्रार्थना पत्र भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

डिकी पर्चा बाबत छूट प्रदान करते हुए तथा मियाद प्रार्थनापत्र बाबत अदालत हाजा का निष्कर्ष सुरक्षित रखते हुए अपील दिनांक 01 अगस्त 2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और निर्धारित न्यायिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं तथा प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त जागीरी से वादग्रस्त आराजियात पर वादी-अपीलार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है, मगर वक्त सेटलमेण्ट उक्त आराजियात सेटलमेण्ट कर्मचारियों/अधिकारियों की भूल एवं लापरवाही से डोली बनाम ठाकुरजी वाके देह बएतमाम पुजारी चुतरदास वल्द रतनदास कौम साद के नाम से दर्ज हो गयी। उक्त त्रुटि बाबत जानकारी होने पर वादी-अपीलार्थी के पिता चुतरदास द्वारा इस संबंधित सक्षम अधिकारियों के समक्ष विधिवत चाराजोई किये जाने पर वादग्रस्त आराजियात वादी-अपीलार्थी एवं उनके भाई मोहनदास के नाम बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी में दर्ज कर दी गयी, जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2030 से 2050 से होती है, मौके पर निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त वादी-अपीलार्थी पक्ष का ही चला आ रहा है, रहवासीय ढाणी, टांके आदि भी मौके पर बने हुए है और लगान भी जमा [illegible]त 57 सालों से कब्जा चला आ रहा है। मगर 02 [illegible] 20[illegible] को पटवारी हलका द्वारा वादी-अपीलार्थी को मौके [illegible] की दिये जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.27 17:32:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व रिकार्ड की नकलें आदि लेकर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 अप्रेल 2015 को दर्ज किया गया, तब से दिनांक 12 जून 2016 तक वाद प्रतिवादी-प्रत्यर्थी की तलबी हेतु विचाराधीन चलता रहा और तारीखें बदली जाती रही तथा 12 जून 2016 को आगे पेशी 13 जुलाई 2016 निर्धारित की गयी, मगर तारीख में कॉटछांट कर 12 जुलाई 2016 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट की सूचना वादी-अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को दिये बिना कैम्प कोर्ट में सुनवाई करते हुए दावा खारिज कर दिया, जो विधिसम्मतः नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी-अपीलार्थी को साक्ष्य-सबूत एवं सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया और न ही निर्धारित विधिक प्रकिया का पालन किया है। अपीलाधीन निर्णय/आदेश वादी-अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उसकी जानकारी के अभाव में पारित किया गया है, इस कारण समुचित समय पर वादी-अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय/आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। जानकारी होने पर जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा में आलौच्य अपील पेश कर दी गयी है। अतः मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मूल दावा विधि अनुसार निस्तारित किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये जावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील मियाद बाधित होने के आधार पर खारिज किये जाने का कथन किया और यह भी कथन किया कि वादग्रस्त [illegible] भूमि है, जिसके संबंध में किसी को भी खातेदा[illegible] किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वा[illegible]त एवं विधिसम्मतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.27 17:32:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील मियादबाधित एवं सारविहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस में वकील उभय पक्ष की दलीलों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भलीभांति परिशीलन किया गया। पत्रावली की आदेशिकाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.04.2016 की आदेशिका तक प्रतिवादी पर सम्मन की सम्यक तामील बाबत् कोई उल्लेख नही है और उस रोज पक्षकारों के वकील की उपस्थिति का भी हवाला नही है और पेशी दिनांक 13.07.2016 को दी गई। उसके बाद पत्रावली केम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत् एक नोटिस प्रारूप-2 में अवश्य जारी हुआ है, जिसमें तारीख पेशी 01.07.2016 प्रदत की जाकर केम्प कोर्ट पांचला खुर्द में मामला सुनवाई हेतु रखा जाना उल्लेखित किया गया। यह नोटिस जेठूदास नामक व्यक्ति पर तामील होना प्रतीत होता है लेकिन इस नोटिस पर तामील संबंधी कोई पृष्ठाकंन नहीं है। यह नोटिस वादी स्वयं पर सम्यक रूप से तामील नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से वादी को बिना सम्यक सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। इस नोटिस में सुनवाई हेतु प्रदत तारीख पेशी वाले दिन पत्रावली में कोई आदेशिका नहीं है।

इसके बाद बिना किसी नोटिस के दिनांक 12.07.2016 को पत्रावली केम्प कोर्ट पांचला खुर्द में रखी जाकर प्रतिवादी का जवाबदावा उसी रोज लिया जाकर पत्रावली पर रखा एवं उसी के आधार पर बिना वादी (अपीलार्थी) को सुने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वाद खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी के जवाब के समर्थन में कोई राजस्व अभिलेख भी रिकार्ड पर लिया जाना नहीं पाया जाता है। नियमित वाद की सुनवाई की एक सुनिश्चित प्रक्रिया निर्धारित है जो सी.पी.सी. के प्रावधानों और राजस्व न्यायालय मैन्युअल में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। हस्तगत अपील के अधीन वाद की सुनवाई में विधिवत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.27 17:32:32 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही यथाः तनकीयात कायम करना, उभय पक्ष की साक्ष्य लिया जाना, अभिलेख प्रदर्श और फिर तनकीवार निर्णय इत्यादि का अभाव पाया गया। विधि की दृष्टि एवं मंशा में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 12 जुलाई 2016 राजस्व वाद संख्या 15/2015 अउनवान अनोपदास बनाम सरकार को खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की निर्धारित प्रकिया पूर्ण करते हुए उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत लेकर वाद सूनवाई गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/10/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.27 17:32:32 IST
Reason: SelfAttested